RBE No. 42/2016

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

No.E(G)2015/EM 1-37 **Rail Bhawan, New Delhi, dated 27 /04/2016**

The General Manager(s),
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per standard mailing list)

Subject: **Procedure for grant of permission to the pensioners for commercial employment after retirement – revision of Form 1.**

As the Railway Administration are aware, in terms of Rule 11 of Railway Services (Pension) Rules, 1993 retired Railway servants proposing to take up commercial employment within a year of retirement are required to seek permission from the Government. They are required to apply for permission in Form 1 of Railway Services (Pension) Rules 1993. Form 1 prescribed under the said rule has since been reviewed with a view to simplify the procedure. The revised Form 1 is enclosed.

2. The revised form incorporates the conditions prescribed in clauses (b) to (f) of sub-Rule 3 of Rule 11. There is now no requirement for obtaining an affidavit as prescribed in the Declaration in the notification issued vide Board's letter No. E(G)2007/EM 1-1 dated 19/9/2007.

3. This issues with the concurrence of the Finance Dte.

4. Formal Notification of Rules will follow.

(D. Joseph)
Dy. Director Estt. (Genl.)

No. E(G) 2015/EM 1-37 New Delhi, dated 27 .04.2016

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways),Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

for FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

No. E(G) 2015/EM 1-37 New Delhi, dated 27 .04.2016

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)
4. The Secretary General, FROA
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association
6. The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association
7. The Secretary General, IRPOF

8. The Secretary General, All India RPF Association
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. Railway Board Promottee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan

for Secretary, Railway Board.

Copy to:

1. The GMs, N.F. Railway (Const.), CAO, SR (Const.) and CR (Const.)
2. FA&CAO, All Indian Railways, PUs, NFR (Const.), SR (Const.) & CR (Const.)
3. The General Manager, RDSO, Lucknow
4. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway, Kolkata
5. The CAO and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA&CAO, CORE, Allahabad
7. The Director General, Railway Staff College/Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP (R) /Mumbai
9. The CAO(Const.), MTP (R), Chennai
10. The Director, CAMTECH, Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
12. The Managing Directors, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR, Executive Director, CRIS
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi
14. O/o Chief Project Administrator (Telecom), IRCOT Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi
15. The Director (Movement), Railways/Kolkata
16. The joint Director (Finance), RDSO, Lucknow
17. The joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence
18. The Joint Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street/Kolkata
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi
21. The Chairman, RCT/Delhi
22. The Chairman, RRT/Chennai
23. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secundrabad and Trivandrum
24. The Editor, 'Bhartiya Rail' Room No. 469, Rail Bhawan.
25. The Editor 'Indian Railways', Room No. 411, Rail Bhawan.
26. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
27. The General Secretary, IRCA, DRM Office Complex, State Entry Road, New Delhi
28. The Commissioner, Railway Safety/Lucknow
29. M/s Bahri Brothers, Lajpat Rai Market/Delhi.
30. The Editor, 'Rail Rajbhasha', Room No. 543, Rail Bhawan
31. Rail Vikas Nigam Ltd., C-2/10, Safdarjang Development Area, Aurbindo Marg, N.Delhi-16

(D. Joseph)
Dy. Director Estt.(Genl.)

Copy to:- PS to MR, EDPG to MR, PS to MOSR, EDPG to MOSR

PSOs/Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to:- CRB, FC, MT, MM, ML, MS, ME, Secretary, DG/RHS, DG/RPF, AM(B), AM(F), AM(Vig), AM(Staff), Adv(F), Legal Adviser, ED/IR, ED(A), EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF(E), EDPC, ED(PG), EDV(A), JS, JS(G), JDF(E), JDPG, DE(N), JDE(N), JDE(P&A), JDE(Res.) I, JDE(G), DDF(E) I, II & III, DDE(LR)II & III/Railway Board.

Copy to:-Cash-I, II & III, E(P&A)I&II, E(NG)I & II, E(LR) II & III, F(E)-I, II & III, F(E) Special, Security (E), Accounts III, ERB- I, II, III, IV, V & VI, E(SCT), E(Rep) I, II & III Branches of Railway Board.

--**--

FORM 1
REVISED

FORM OF APPLICATION FOR PERMISSION TO RAILWAY OFFICERS TO ACCEPT COMMERCIAL EMPLOYMENT WITHIN A PERIOD OF ONE YEAR AFTER RETIREMENT.

{Rule 11(1) of Railway Services (Pension) Rules, 1993}

A. PARTICULARS OF OFFICER

1	Name of the Pensioners (IN BLOCK LETTERS)	
2	Date of retirement	
3	Particulars of the Ministry/Department/Offices in which the pensioner served during the last five years preceding retirement (with duration)	
4	Post held at the time of Retirement and period for which held	
5	Pay scale / Pay Band & Grade Pay of the post and the Pay drawn by the officer at the time of retirement.	
6	Pensionary benefits (a) Gross monthly Pension sanctioned/expected. (b) Commutation, if any. (c) Gratuity, if any.	

B.	PARTICULARS OF PROPOSED EMPLOYMENT	
7	Details regarding commercial employment proposed to be taken up:- (a) (i) Name of organization/firm/company/co-operative society. (ii) Brief nature of the organizations. (iii) Full address of the registered office of the organization. (iv) Permanent Account Number (PAN) or Tax Identification Number (TIN) or Registration Number of the Organization. (b) Products being manufactured by the firm/type of business carried out by the firm etc. (c) Whether the officer had during the last three years of his official career, any dealings with the firm or company or cooperative society, etc. (d) Duration and nature of the Official dealing with the firm. (e) Name of the job/post offered (f) Whether post was advertised, if not, how offer made (Attach Newspaper cutting of the advertisement and copy of the offer of appointment, if any) (g) Description of the duties of the Post/job Remuneration offered for the post/job. (h) If proposing to set up practice, indicate: (i) Professional Qualification in the filed of practice nature of proposed practice. (ii) Nature of proposed practice.	
8.	Any other information which the applicant desires to furnish in support of his request	

9. **DECLARATION:**

I hereby declare that :-

(a) I have not been privy to sensitive or strategic information in the last three years of service, which is directly related to the areas of interest or work of the organization that I propose to join or to the areas in which I propose to practice or consult.

(b) The proposed employment will not involve conflict of interest with the policies of the office held by me during the last three years and the interest represented or work undertaken by the organization I propose to join will not bring me into conflict with the working of the Government.

(c) The organisation in which I am seeking employment is not involved in activities which are in conflict with or prejudicial to India's foreign relations, national security and domestic harmony. The organisation is not undertaking any activity for intelligence gathering. The employment, which I propose to take up with the organization also will not entail activities which are in conflict with or involve activities prejudicial to India's foreign relations, national security and domestic harmony.

(d) My service record is clear, particularly with respect to integrity and dealings with Non-Government Organisations.

(e) The proposed emoluments and pecuniary benefits are in conformity with the industry standards.

(f) I agree to withdraw from the commercial employment in case of any objection by the Government.

10. **UNDERTAKING**

I hereby solemnly declare that the above information is true to the best of my knowledge and belief and that no material information has been concealed. In the event of any of the information being found to be false the permission may be withdrawn without assigning any reason and without prejudice to any other action that the Government may consider appropriate including action under Railway Services (Pension), Rules 1993 and criminal proceedings.

Signature of applicant

Date: ....

Place: ....

आरबीई सं. 52/2016

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी)2015/ईएम 1-37 **रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक 27/04/2016**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: सेवानिवृति के बाद व्यावसायिक रोजगार के लिए पेंशनरों को अनुमति देने की प्रक्रिया - फॉर्म 1 में संशोधन।

जैसाकि रेल प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 11 के अनुसार, सेवानिवृति के एक वर्ष के भीतर व्यावसायिक रोजगार प्राप्त करने का प्रस्ताव करने वाले सेवानिवृत्त रेल सेवकों को सरकार से अनुमति लेना अपेक्षित होता है। उन्हें अनुमति लेने के लिए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के फॉर्म 1 में आवेदन करना अपेक्षित होता है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उक्त नियम के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म 1 की अब समीक्षा की गई है। संशोधित फॉर्म 1 संलग्न है।

2. संशोधित फॉर्म में नियम 11 के उपनियम 3 के खण्ड(ख) से (च) में निर्धारित शर्तों को शामिल किया गया है। जैसाकि बोर्ड के दिनांक 19/9/2007के पत्र सं. ई(जी)2007/ईएम1-1 के तहत जारी अधिसूचना की घोषणा में की गई व्यवस्था के अनुसार अब कोई शपथ-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

3. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. इसके बाद नियम की औपचारिक अधिसूचना भेजी जाएगी।

डी जोसफ़
(डी. जोसफ़)
उप निदेशक स्था (सा.)

सं. ई(जी)2015/ईएम 1-37 रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक 27/04/2016

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40प्रतियाँ सहित) प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(जी)2015/ईएम 1-37 रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक 27/04/2016

प्रतिलिपि प्रेषित

1) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
3) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ
5) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन
6) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ग्रुप बी ऑफिसर्स एसोसिएशन
7) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इण्डिया आरपीएफ एसोसिएशन

9) सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन
10) सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन
11) रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

सं. ई(जी)2015/ईएम 1-37 रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक /04/2016

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिण रेलवे (निर्माण) तथा मध्य रेलवे (निर्माण)
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), दक्षिण रेलवे (निर्माण) तथा मध्य रेलवे (निर्माण)
3. महाप्रबंधक, अ.अ.मा.सं./ लखनऊ
4. महाप्रबंधक तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, मैट्रो रेलवे/ कोलकाता
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कॉफमो/ नई दिल्ली
6. महाप्रबंधक तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कोर/ इलाहाबाद
7. महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज/वडोदरा
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), एमटीपी (आर), मुंबई
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), एमटीपी(आर), चेन्नई
10. निदेशक, कैमटैक/ग्वालियर - 474020
11. निदेशक, इरिसेन/पुणे, ईरीन/नासिक रोड, इरमी/जमालपुर, इरिसेट/सिकन्दराबाद
12. प्रबंध निदेशक, राइट्स, इरकॉन, आईआरएफसी, कॉनकोर क्रिस
13. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड/नई दिल्ली
14. मुख्य परियोजना प्रशासक का कार्यालय (दूरसंचार), इरकोट कंसल्टेंसी, शिवाजी ब्रिज/नई दिल्ली.
15. निदेशक (संचलन) रेलें/कोलकाता
16. संयुक्त निदेशक (वित्त), अ.अ. एवं मा.सं., लखनऊ
17. संयुक्त निदेशक, मिल रेल, रक्षा मंत्रालय
18. संयुक्त सचिव, लोहा एवं इस्पात, 3 कोयलाघाट स्ट्रीट/ कोलकाता
19. मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद, झारखण्ड
20. अध्यक्ष, आरसीसी, लोक सभा सचिवालय/नई दिल्ली
21. अध्यक्ष, आरसीटी/दिल्ली
22. अध्यक्ष, आरआरटी/चेन्नई
23. अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुम्बई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और त्रिवेन्द्रम
24. संपादक, 'भारतीय रेल', कमरा नं. 469, रेल भवन
25. संपादक, 'इंडियन रेलवे', कमरा नं. 411, रेल भवन
26. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
27. जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, डीआरएम ऑफिस काम्प्लेक्स, स्टेट एन्ट्री रोड, नई दिल्ली
28. रेल संरक्षा आयुक्त/लखनऊ
29. मैसर्स/ बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट/ दिल्ली -110006.
30. संपादक, "रेल राजभाषा", कमरा नं. 543, रेल भवन
31. रेल विकास निगम लिमिटेड, सी-2/10, सफदरजंग डेवलॉपमेंट एरिया, आरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-16.

(डी. जोसफ़)
उप निदेशक स्था (सा.)

प्ररूप 1
संशोधित

रेल अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात एक वर्ष की अवधि के भीतर वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने के संबंध में अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्ररूप.

{रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 का नियम 11(1)}

क. अधिकारी का ब्यौरा

1	पेंशनभोगी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2	सेवानिवृत्ति की तारीख	
3	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की विशिष्टयाँ, जिसमें अधिकारी ने सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 5 वर्षों के दौरान सेवा की है. (अवधि लिखिए.)	
4	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद और वह अवधि जिस समय तक वह धारण किया गया.	
5	पद का वेतनमान/पे बैण्ड तथा ग्रेड पे और सेवानिवृत्ति के समय अधिकारी द्वारा लिया गया वेतन.	
6	पेंशनिक फायदे. (क) स्वीकृत/प्रत्याशित सकल मासिक पेंशन (ख) संराशीकरण, यदि कोई हो. (ग) उपदान, यदि कोई हो.	
ख.	**प्रत्याशित नियोजन के ब्यौरे**	
7	ऐसे नियोजन के ब्यौरे जिसके स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है:- (क) (i) संगठन/फर्म/कंपनी/सहकारी समिति, आदि का नाम. (ii) संगठन का संक्षिप्त स्वरूप	

	(iii) संगठन के पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता (iv) संगठन की स्थाई लेखा सं. (पैन अथवा कर पहचान सं. (टीआईएन) अथवा रजिस्ट्रीकरण सं. (ख) फर्म द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद/फर्म द्वारा किए जा रहे कारोबार का प्रकार इत्यादि (ग) क्या अधिकारी ने अपने पिछले तीन वर्षों के सेवाकाल के दौरान फर्म या कंपनी या को-ऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कोई व्यवहार आदि किया था. (घ) फर्म के साथ शासकीय व्यवहारों की अवधि और प्रकृति (ड.) प्रस्तावित कार्य/पद का नाम. (च) क्या पद को विज्ञापित किया गया था, यदि नहीं, तो प्रस्ताव किस प्रकार किया गया था (विज्ञापन से संबंधित समाचार पत्र की कतरन और नियुक्ति प्रस्ताव भी, यदि कोई हो, एक प्रति संलग्न की जाए.) (छ) कार्य/पद के कर्त्तव्यों का वर्णन कार्य/पद के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक (ज) यदि व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रस्ताव है, तो निम्नलिखित बताएं : (i) व्यवसाय के क्षेत्र में वृत्तिक अर्हता. (ii) प्रस्तावित व्यवसाय की प्रकृति.	
8.	ऐसी कोई जानकारी जो आवेदक अपने अनुरोध के समर्थन में देना चाहता है.	

9. घोषणाः

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मैं सेवा के पिछले तीन वर्षों में संवेदनशील या सामरिक महत्व की सूचना के संपर्क में नहीं रहा हूँ, जो उस संगठन के हित या कार्य क्षेत्रों से सीधे तौर पर संबंधित है जिसे मैंने ज्वाइन करने का प्रस्ताव किया है या वह क्षेत्र जिसमें मेरी प्रैक्टिस या परामर्श करने का प्रस्ताव है.

(ख) प्रस्तावित नियोजन से पिछले तीन वर्षों के दौरान मेरे द्वारा धारित पद से जुड़े हुए नीतिगत मामलों के साथ हित का टकराव नहीं होगा और वह संगठन जिसे ज्वाइन करने का मैंने प्रस्ताव किया है, द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले मामलों या किए जाने वाले कार्य का सरकार की कार्य प्रणाली के साथ टकराव उत्पन्न नहीं होगा.

(ग) वह संगठन जिसमें मैं नियोजन चाह रहा हूँ, उन गतिविधियों में शामिल नहीं है जो भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सौहार्द के लिए हानिकारक हो। संगठन आसूचना संग्रह करने की किसी गतिविधि में शामिल नहीं है। संगठन में वह नियोजन जिसे मैंने स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है, भी उन गतिविधियों के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसमें भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सौहार्द के लिए हानिकारक गतिविधियाँ शामिल हैं।

(घ) मेरा सेवा का रिकॉर्ड विशेष रूप से सत्यनिष्ठा और गैर-सरकारी संगठनों के साथ संव्यवहार के संबंध में स्पष्ट है.

(ड.) प्रस्तावित परिलब्धियाँ और वित्तीय लाभ इंडस्ट्री के मानदंडों के अनुरूप हैं।

(च) मैं सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति की स्थिति में व्यावसायिक नियोजन वापस लेने के लिए सहमत हूँ।

10. वचनबद्धता

मैं एतदद्वारा विधिवत घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई तथ्यपरक सूचना छुपाई नहीं गई है. कोई भी सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में बिना कोई कारण बताए अनुमति वापस ली जा सकती है और सरकार रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 और आपराधिक कार्यवाही के तहत कार्रवाई सहित बिना पूर्वाग्रह के कोई अन्य कार्रवाई कर सकती है जिसे सरकार उपयुक्त समझेगी.

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः ....

स्थानः ....